

PLEASE
ne

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 63 / 18

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

1. अशोक जाटव पुत्र रमेश जाटव उम्र 45 वर्ष
2. महोदव जाटव पुत्र बालकिशन जाटव उम्र 28 वर्ष

निवासीगण- वार्ड क0 1 पुराना घनश्यामपुरा गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged
commission

आपने दिनांक 28.03.2018 को 15:10 बजे कन्या स्कूल के पीछे खाली प्लॉट
घनश्यामपुरा गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर
जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के
अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

अपराध स्वीकार है ।

अशोक

महोदव

प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 04.05.2018 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति बिना किसी डर, दबाव व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत 100/- 100/- रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पांच-पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड़ड़ी नष्ट हो। जप्तशुदा रूपये 750/-रूपये राजसात किये जाते हैं। अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान- गोहद

दिनांक- 04/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

RA
4/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्था)
जायें एमएफसी गोहद
जिला- शिवपुर (म.प्र.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

RA
4/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्था)
जायें एमएफसी गोहद
जिला- शिवपुर (म.प्र.)